144

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ.1(2)(1)नपा–पंचा/सांआ/रानिआ/2014/9847 दिनांक 24.12.2014

अधिसूचना

सां. आ.:– 105/2014– राज्य में पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन कराया जाना है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 243–ट के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के संचालन पर नियंत्रण, अधीक्षण व निर्देशन की शक्तियां राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है;

और, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22–क की उप–धारा (1) के उपबंधों के अनुसार निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तारीख से निर्वाचन की समाप्ति तक कोई अभ्यर्थी या उसका अधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस प्रयोजन से लगाये गये प्रतिबंधों के उल्लंघन में किसी वाहन या लाऊडस्पीकर का उपयोग करता है या कट आउटों, होर्डिग्स, पोस्टरों और बैनरों को प्रदर्शित करता है तो वह शास्ति जो रूपये 2,000/– तक हो सकेगी, से दण्डनीय होगा;

अतः, पंचायती राज संस्थाओं में पंचों, सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों तथा जिला परिषद् सदस्यों के लिए निर्वाचनों के शुद्ध एवं सुचारू संचालन के लिए उक्त धारा 22–क और संविधान के अनुच्छेद 243–ट द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तारीख से निर्वाचन की समाप्ति तक की अवधि के दौरान अभ्यर्थी या उसके अधिकृत निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा वाहनों या लाऊडस्पीकरों के उपयोग या कट आउटों, होर्डिग्स, पोस्टरों और बैनरों आदि के प्रदर्शन व इनसे संबंधित अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अपनी अधिसूचना क्रमांक एफ.4(2)(1)पं.चु./नपा/94/6933 दिनांक 30.12.2009 एवं एफ.1(2)(1)नपा–पंचा/सा.आ./रानिआ/14/3550 दिनांक 26.08.2014 को अतिक्रमित करते हुये निम्न आदेश जारी करता हैः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारम्भः–** (i) इस आदेश का नाम राजस्थान पंचायतीराज संस्थाओं (वाहनों एवं लाउडस्पीकरों के उपयोग तथा पोस्टरों, बैनरों आदि के प्रदर्शन पर प्रतिबंध) आदेश, 2014 है,

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर है तथा यह पंचायती राज संस्थाओं में पंचो, सरपंचों, पंचायत समिति सदस्यों एवं जिला परिषद् सदस्यों के निर्वाचन के संबंध में लागू होगा, और

(iii) यह तुरन्त प्रभाव से लागू होगा।

2.परिभाषाऐंः– (1) आदेश में जब तक कि विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(i) ''निर्वाचन'' से किसी पंच या सरपंच या पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद सदस्य के लिए ''साधारण निर्वाचन'' और ''उप निर्वाचन'' अभिप्रेत है;

(ii) ''प्ररूप क'' से इस आदेश से संलग्न ''प्ररूप क'' अभिप्रेत है;

(iii) ''पैरा'' से इस आदेश का ''पैरा'' अभिप्रेत है;

(iv) ''उप पैरा'' से उस पैरा का ''उप पैरा'' अभिप्रेत है जिसमें यह शब्द आता है; और

(v) ''खण्ड'' से इस आदेश के पैरा का ''खण्ड'' अभिप्रेत है;

(vi) ''नियम'' से राजस्थान पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के ''नियम'' अभिप्रेत है;

(vii) ''पोस्टर'' में प्रिंट मीडिया/इलेक्ट्रोनिक मीडिया में चुनाव प्रचार हेतु प्रकाशित विज्ञापन/अपील भी सम्मिलित है;

24/12/14

F:\Poster & Benar.doc